**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 1833**

**शुक्रवार, 6 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**सभी वैश्विक खरीदों पर सार्वजनिक खरीद आदेश 2017 के खण्ड 5 की प्रयोज्यता**

**1833. श्री विवेक के. तन्खाः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता देना) आदेश, 2017 के खण्ड 5 के प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब संबंधित खरीद एजेंसी/नोडल मंत्रालय मूल्य/आकार को ध्यान में रखे बिना वैश्विक निविदा में इसको विशेष रूप से निर्दिष्ट करता है, क्योंकि मंत्रालय विशेष को न्यूनतम स्वदेशी वस्तुओं को निर्धारित करना होगा; और

(ख) क्या सरकार (सबसे बड़ा खरीददार होने के नाते) खण्ड 5 को खरीददार के एक विकल्प के रूप में रखने के बजाय, मूल्य/आकार पर ध्यान दिए बिना सभी वैश्विक खरीदों पर एक नियम के रूप में लागू करके 'मेक इन इंडिया' पहल को आगे बढ़ाने का विचार रखती है?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) और (ख):** जी, हां। 29.05.2019 को संशोधित सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 के पैरा-5 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

**“न्यूनतम स्थानीय वस्तु**: न्यूनतम स्थानीय वस्तुएं सामान्यत: 50 प्रतिशत होंगी। नोडल मंत्रलाय किसी विशेष वस्तु के संबंध में अधिक अथवा कम प्रतिशतता निर्धारित कर सकता है और साथ ही स्थानीय वस्तुओं की गणना का ढंग निर्धारित कर सकता है।”

2. पीपीपी-एमआईआई आदेश, 2017 का पैरा-5 खरीद की पद्यति (अर्थात इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि यह वैश्विक निविदा, विज्ञापित निविदा अथवा सीमित निविदा है) और मूल्य पर ध्यान दिए बिना केन्द्रीय सरकार की खरीद करने वाली संस्थाओं द्वारा की गई सभी खरीद पर लागू होगा।

3. पीपीपी-एमआईआई आदेश के तहत किसी भी आपूर्तिकर्ता को स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में लाभ प्राप्त करने के लिए, उसे आदेश के पैरा 5 में यथानिर्धारित न्यूनतम स्थानीय वस्तु आवश्यकता को पूरा करना होगा अर्थात न्यूनतम स्थानीय वस्तु (एमएलसी) 50% होगी जब तक कि नोडल मंत्रालय/विभाग द्वारा अन्यथा इसे निर्धारित नहीं किया जाता।

\*\*\*\*\*